भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5679

दिनांक 27.03.2026 को उत्तर के लिए

ब्लड बैंकों में न्यूक्लिक एसिड की जाँच

5679 : श्री दुरई वाइको:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुरक्षित रक्त चढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए रक्त बैंकों में न्यूक्लिक एसिड जांच (एनएटी) को अनिवार्य बनाने की व्यवहार्यता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की हाल ही में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर के सभी सरकारी और निजी रक्त बैंकों में दान किए गए रक्त के लिए एनएटी जांच शुरू करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्य-वार कितने रक्त बैंकों में एनएटी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी रक्त बैंकों, विशेषकर सरकारी अस्पतालों में एनएटी जांच को लागू करने संबंधी लागत निहितार्थ और व्यवहार्यता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे संक्रमणों सहित संदूषित रक्त चढ़ने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या के संबंध में आंकड़े हैं; और

(च) रक्त सुरक्षा मानको को सुदृढ़ करने और रक्त चढ़ाने के माध्यम से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): रिट याचिका (सिविल) संख्या 184/2026 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा प्रोटोकॉल के संबंध में विशेष ज्ञान की कमी और राज्य पर इसके आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए रक्त बैंकों में न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (NAT) को अनिवार्य बनाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया यह कहते हुए कि इस विषय में दिशा -निर्देश जारी करने के लिए उनके पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान और इनके आर्थिक आकलन को ब्यौरा नहीं है।

(ख) से (घ): रक्ताधान से फैलने वाले संक्रमणों की रोकथाम हेतु, राष्ट्रीय रक्त बैंक एवं रक्ताधान सेवा मानक दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार, 4th जनरेशन की एलीसा/केमिल्यूमिनेसेंट इम्यूनोऐसे (सीएलआईए) परीक्षण अनिवार्य है। सरकार देश भर के सभी सरकारी एवं निजी रक्त बैंकों में दान किए गए रक्त के लिए अनिवार्य NAT की स्क्रीनिंग शुरू करने का अनिवार्य नहीं करती है। वर्तमान में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समर्थित 1131 रक्त केंद्रों में से 349 केंद्रों में NAT की सुविधा उपलब्ध है। NAT अब राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों (INI), केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अग्रणी राज्य संस्थानों में भी उपलब्ध है।

(ङ) और (च): पिछले पांच वर्षों के दौरान संक्रमित रक्ताधान के कारण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, जिसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी जैसे संक्रमण शामिल हैं, से संबंधित आँकड़े केंद्रीय स्तर पर संग्रहित नहीं किए जाते हैं। रक्त सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने तथा रक्ताधान के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
